न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 192/21 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2021/276

अनवान्

1. श्री भानु कुमार पिता नारायण अहीर निवासी उम्मेदपुरा सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती प्यारी बाई बेवा नारायण अहीर निवासी उम्मेदपुरा सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्री भंवरलाल पिता नारायण अहीर निवासी उम्मेदपुरा सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती शान्ता बाई पुत्री पिता नारायण अहीर निवासी उम्मेपुरा सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..............प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती दुरैया बोहरा पत्नी अब्बास अली बोहरा (हकीमवाला) निवासी सुल्तानिया रोड बोहरवाडी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री कमलेन्द्र सिंह पिता भोपालसिंह राजपुत निवासी बाजणी कांकर, भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–12.09.2024

1. प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही 'क प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) भू– अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में आराजी न. 547/472 किता 1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों के नाम हिस्सा अनुसार अंकित है। उक्त कलम नम्बर 2 में वर्णित भूमि पहले श्री भगवान पिता भेरा अहीर को राज्य सरकार द्वारा आवंटन हुई एवं भूमि को काफी अर्थ एवं श्रम कर आबादान की तब से इस भूमि पर भगवान जी का एवं भगवान जी के निधन के बाद विरासत से नामान्तरण संख्या 304 से नारायण, गट्टा, चुन्नी पिता भगवान एवं मु. रूपी बेवा भगवान के नाम हि.ब. से अंकित हुई एवं विरासत से नामान्तरण संख्या 348 से विरासत से नारायण एवं रूपी के बजाय [illegible] भानु कुमार, भंवरलाल, शान्ता कुमारी पिता नारायण [illegible] लाल 1/3, गट्टा, चुन्नी पिता भगवान 2/3 हि.ब. [illegible] अंकित हुई उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा हो प्रार्थीगण काश्त करते [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:51:18 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा के पडौसी प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के सहयोग से जोर जबरन प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिण दिशा में बनी हुई खडकमा पत्थरों की कोट को गिरा कर नयेसर रास्ता कायम करना चाहता है इसी नाजायज उद्धेश्य की पूर्ति के हेतु दिनांक 21.06.2020 रात्रि को जबरन जरिये से अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश कर उक्त भूमि के पूर्वी–दक्षिणी कोने पर उत्तरी–दक्षिणी लम्बाई में लगभग 12 फीट लम्बाई में नींव खेद कर रातोंरात भराई करवा दी तथा निर्माण कार्य करने पर आमादा हुए जिस पर दिनांक 22.06.2020 को वादी संख्या 1 की पत्नी मांगीबाई जब अपने खेत पर गई और प्रतिप्रार्थीगणों को ऐसा करने से मना किया तो वहां पर उसके साथ प्रतिवादी संख्या 2 ने भारी लडाई झगडा किया जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना भीण्डर में दर्ज करवा रखी है एवं अभी भी विपक्षीगण लडाई झगडा करते हुए उक्त भूमि पर पक्का निर्माण करने हेतु आमादा हो रहें हैं, ऐसी स्थिति में विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने किस खातेदार का कितना हिस्सा है इसका विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है साथ ही इस भूमि का विभाजन भी किया हुआ नहीं है जिससे प्रार्थीगण की भूमि कहां है किस प्रकार है जिसका विवरण भी अंकित नहीं किया है। आ.न. 547/472 रकबा रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि के पडौस अंकित दक्षिण दिशा में विपक्षी स. 1 की भूमि स्थित होना स्वीकार हैं पुर्वी दिशा सरकारी नाला नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 की भूमि पर आने जाने का ग्रेवल रास्ता हैं इसके बाद नाला हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा हम विपक्षीगण 1 व 2 द्वारा खडकमा पत्थरों की कोट को गिराकर नये सर रास्ता कायम न तो किया है ओर न ही कायम कराना चाहते है। मौके पर आम सडक से दक्षिण दिशा ग्रेवल रास्ता नाले के समीप कई सालों से विद्यमान है जो बरसात के कारण उबड खाबड हो गया जिसका उपयोग उपभोग पहले हमारे पुर्वाधिकारी करते थे ओर अब हमारे द्वारा किया जा रहा है ओर इस रास्ते के अलावा विपक्षी स. 1 की आराजी पर आने जाने एवं संसाधन लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं।

4. यह कि प्रार्थीगण जिस भूमि को अपनी बता रहें है उस भूमि पर हम विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को काश्त करते कभी नहीं देखा। जमाबन्दी में अंकन मात्र से कोई खातेदार नहीं होता। जमाबन्दी में अंकन भी प्रार्थीगण ने गलत करवाया है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है ओर न ही प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण ने माननीय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक वल्लभनगर में भानुकुमार बनाम श्रीमती दुरैया व अन्य के उनवान का एक प्रार्थना पत्र धारा 128 एल आर एक्ट के तहत [illegible] रखा। [illegible] माननीय न्यायालय में विचाराधीन होकर उसके प्रकरण सं. 56/19 [illegible] सुनवाई दिनांक 07.09.2020 को नियत है ऐसे [illegible] ही न्यायालय में धारा 128 एल आर एक्ट एवं धारा 188 रा.टि.ए. के तहत [illegible] नहीं कर सकते है और न ही प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:51:18 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय से ऐसी दाद प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5\. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

I. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में बनी हुई पत्थरों की कोट को गिरा कर विपक्षी संख्या 1, 2 नयसर रास्ता कायम करना चाहते हैं तथा जबरन तरिके से प्रवेश करने व निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में गेवल रास्ता होने का कथन कहा हैं साथ ही प्रार्थी द्वारा कहे गये अन्य कथनों का खण्डन किया हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में रास्ता है या नहीं तथा विपक्षीगण द्वारा कहे गये अन्य कथनों को मूल वाद में ही तय किया जा सकता हैं। प्रथम दृष्टया प्रार्थी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

II. **अपूरणीय क्षति :–** प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार होने से तथा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन :–** प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

6\. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में बनी हुई पत्थरों की कोट को गिरा कर विपक्षी संख्या 1, 2 नयसर रास्ता कायम करना चाहते है तथा जबरन तरीके से प्रवेश करने व निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में गेवल रास्ता होने का कथन कहा हैं साथ ही प्रार्थी द्वारा कहें गये अन्य कथनों का खण्डन किया हैं। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में रास्ता है या नहीं तथा विपक्षीगण द्वारा कहे गये अन्य कथनों को मूल वाद साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय किया जा सकता हैं। इस पत्रावली में हमें निर्णय के लिये तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओ के आधार पर निर्णय करना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु ... निर्णित किये जा चुके हैं। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबूत ... पर तय किया जायेगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार ... जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:18 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2051—54 की आराजी न. 547/472 रकबा 1 बिघा 17 विस्वा भूमि में भू प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:18 IST
Reason: SelfAttested